कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 3012 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 08 जनवरी, 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी० 0.000 से किमी० 20.600 तक मौजुदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No.-FP/UK/ROAD/144663/2021)**

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/66/2023/एफ०सी०, दिनांक- 26.12.2024।

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से विषयांकित परियोजना में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के सापेक्ष कैम्पा कोष में जमा की जाने वाली धनराशि हेतु डिमांड नोट इस कार्यालय के पत्र संख्या-3008/12-1, दिनांक- 08 जनवरी, 2024 से जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भुगतान से पूर्व परिवेश पोर्टल पर डिमांड नोट आपके स्तर से सत्यापित किया जाना अनिवार्य है, तत्पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव हो पायेगी।

महोदय, विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन में डिमांड नोट की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि डिमांड नोट का अवलोकन करने के उपरान्त, सहमति की दशा में सत्यापित करना चाहें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संख्या : 3012/12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 3008 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 08 जनवरी, 2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बसन्त विहार,
देहरादून।

विषय :- **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी० 0.000 से किमी० 20.600 तक मौजुदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।**
(Online proposal No.- FP/UK/ROAD/144663/2021)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/66/2023/एफ०सी०, दिनांक- 26.12.2024।

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से विषयांकित परियोजना में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के सापेक्ष कैम्पा कोष में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	मद	भौतिक	दर	देय धनराशि (रू०)
1.	प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसका दस वर्षों तक अनुरक्षण	40 है०	₹ 4, 93,670.00 /ha.	₹ 1,97,46,800.00
2.	एन०पी०वी० (Eco-Class I, Density-0.8, Very Dense Forest)	19.8345 है०	₹ 15, 95,790.00 / ha.	₹ 3,16,51,697.00
3.	वन्यजीव प्रबन्धन योजना	2 % of Project cost		₹ 4,83,83,000.00
4.	मृदा एवं जल संरक्षण योजना	0.5 % of Project Cost		₹ 1,20,98,000.00
	कुल योग			**₹ 11,18,79,497.00**
				₹ ग्यारह करोड़ अठारह लाख उन्नासी हजार चार सौ सत्तानब्बे मात्र

इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि भविष्य में यदि उपरोक्त मदों यथा प्रतिपूरक वनीकरण, एन०पी०वी० आदि में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो उक्त के अतिरिक्त धनराशि, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। उक्त धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) फंड में जमा किया जायेगा।

क्रमश: - - 2 - -

अत: उक्तानुसार धनराशि का भुगतान ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से करते हुए विषयांकित प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों/प्रमाण पत्रों सहित ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें एवं परिपूर्ण अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में संगत दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संख्या : 3008/12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून